प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्य में बस स्टैंड/बस पड़ाव निर्माण से संबंधित नीति प्रारूप से संबंधित विषय पर विचार विमर्श हेतु दिनांक– 22.05.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति संलग्न :–

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 02.05.2019 तथा दिनांक– 03.05.2019 को संपन्न बैठक में लोक सेवा प्रदायगी एजेंसी को और बेहतर एवं सुलभ बनाने हेतु विभिन्न विभाग से प्राप्त सुझावों के आलोक में परिवहन विभाग एवं नगर विकास विभाग के समन्वय से बस अड्डों (Bus Stand) तथा बस पड़ावों (Bus Stops) के विकास हेतु एक नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया था। उक्त के आलोक में सचिव, परिवहन विभाग एवं बुडको के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम शहरी क्षेत्र में बस स्टैंड/बस पड़ाव निर्माण एवं विकास से संबंधित नीति प्रारूप बनाने के संबंध में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्मित/निर्माणाधीन बस स्टैंड/बस स्टॉप के अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई। तदोपरांत सचिव, परिवहन विभाग, बुडको के पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित पदाधिकारियों से नीति प्रारूप तैयार करने के बिन्दु पर विचार विमर्श किया गया। विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए :–

(i) जिला मुख्यालय, जहाँ बस स्टैंड उच्च गुणवत्ता के नहीं है, वहाँ गुणवत्ता युक्त बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। इसके बाद Tourist Places पर बस स्टैंड बनाए जाएंगे। तदोपरांत अनुमंडल स्तर के शहरों में बस स्टैंड बनाए जाएंगे।

(ii) जहाँ निजी बस स्टैंड चल रहे है, यदि वहाँ पर्याप्त भूमि है तथा उचित स्थल पर है, उसे 30 वर्षों के लिए लीज पर लेने का प्रयास किया जाय तथा PPP मॉडल/Revenue Sharing मॉडल पर उसे विकसित किया जाएगा।

(iii) शहर के अन्दर अवस्थित छोटे बस स्टैंड को शहर के बाहर Shift किया जाएगा। ऐसा करने से बस स्टैंड का जो Space बचेगा उसका उपयोग Stack Parking अथवा अन्य महत्वपूर्ण Infrastructure निर्माण में किया जाएगा।

(iv) बस स्टैंड हेतु स्थल के चयन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला पदाधिकारी, परिवहन विभाग एवं नगर एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

(v) राज्य के राजधानी, जिला मुख्यालय एवं छोटे शहरों में बस स्टैंड निर्माण के लिए अलग–अलग डिजाईन बनाया जाएगा। बस स्टैंड एवं बस स्टॉप के लिए अलग–अलग शहरों का 10 प्रकार का डिजाईन तैयार किया जाएगा ताकि Land Availibility के अनुसार डिजाईन का चयन किया जा सके। बस स्टैंड का निर्माण स्थल उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा। बस स्टैंड के साथ वहाँ की आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवसायिक दुकानों का भी निर्माण कराया जाएगा। Traffic Plan को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। बस स्टैंड के निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग की निधि एवं परिवहन विभाग के पास उपलब्ध Road Safety Fund का भी उपयोग किया जा सकेगा।

(vi) बस स्टैंड में Electric Charging Point भी प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए उर्जा विभाग से समुचित प्रोत्साहनकारी Tariff निर्धारित करने का अनुरोध किया जाएगा।

(vii) बस स्टैंड एवं बस पड़ाव का प्लान पटना एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के Urban Transport Expert परिवहन विभाग के साथ मिलकर तैयार करेंगे। यह कार्रवाई एक सप्ताह के अन्दर की जाएगी।

(viii) बस स्टैंड के रख–रखाव के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें नगर निकाय, परिवहन विभाग, पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (यातायात) बुडको के क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं पथ निर्माण विभाग के सदस्य रहेगे। बस स्टैंड के निर्माण हेतु प्राक्कलन में Building Light तथा Toilets के लिए 10 वर्षों के O & M का भी प्रावधान किया जाएगा। बस स्टैंड के अन्दर के पथ का रख–रखाव RCD द्वारा किया जाना उचित होगा।

(ix) बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण कर दुकान लगाने की प्रवृत्ति को रोका जाएगा। इसके लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति कार्रवाई करेगी।

(x) बस स्टैंड की बन्दोबस्ती› Advertisment तथा दुकानों के बन्दोबस्ती/लीज पर देने की कार्रवाई भी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। बस स्टैंड से प्राप्त होने वाली आय एक अलग खाता में रखी जाएगी।

(xi) शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के बस स्टैंड (Private, BSRTC, नगर विकास एवं आवास विभाग) का अद्यतन सर्वे कराया जाएगा। इसमें किन–किन बिन्दुओं को ध्यान में रखना है, इसके लिए परिवहन विभाग एक प्रपत्र विकसित करेगा। इस कार्य में पटना एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के Urban Planner सहयोग करेंगे। एक सप्ताह में प्रपत्र तैयार कर परिवहन विभाग के स्तर से सभी संबंधित को भेजा जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित बस स्टैंड पर बुडको, प्रतिवेदन देगा। विभाग की ओर से उप सचिव इसका अनुश्रवण करेंगे।

(xii) उक्त नीति प्रारूप तैयार करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय समिति निम्नवत गठित किया जाता है :–

1.	श्रीमती सीमा त्रिपाठी, राज्य परिवहन आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री के०डी० प्रौज्ज्वल, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
3.	श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
4.	श्री अनुपम सुनील, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानर, पटना स्मार्ट सिटी लि०	सदस्य
5.	श्री सुजीत मोदी, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानर, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि०	सदस्य
6.	श्री सुरेश कुमार सिन्हा, परामर्शी, परिवहन विभाग	सदस्य

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

3/5

(संजय अग्रवाल),
सचिव,
परिवहन विभाग।

4/6/2019

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–2बं०/जला०–01–04/2016 2800 /न०वि०एवंआ०वि०/घटना, दिनांक–06/6/19

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, परिवहन विभाग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी– पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/6/19

(के०डी० प्रौज्ज्वल),
सरकार के उप सचिव।